भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2891
08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत सुधार

2891. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष क्या सुझाव रखे गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्र सरकार ने ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता बनाए रखने के साथ-साथ जीवन सुगमता एवं व्यापार सुगमता के लिए भी सुधार किए गए हैं। विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किए गए प्रमुख कार्यकलाप **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) : नियमों, नीतियों, दिशा-निर्देशों एवं आदेशों आदि के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में सुधार संबंधी उपायों के नियमन और कार्यान्वयन के दौरान राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से उचित परामर्श किया जाता है और सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं-2891

अनुबंध

I. ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना ढांचा संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश भविष्य के लिए विद्युत मांग का आकलन करने और ऐसी मांग को पूरा करने की क्षमता प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

II. केंद्र सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं हेतु विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की शुरूआत की है।

III. वितरण युटिलिटीज द्वारा भुगतान में विलम्ब से उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र में नकदी प्रवाह की समस्याओं को हल करने के लिए विद्युत (विलम्ब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।

IV. आरईसी और पीएफसी द्वारा डिस्कॉम/ट्रांसको/जेनको को ऋण देते समय विवेकसम्मत ऋण देने और स्थिर वित्तीय कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त तर्कसंगत दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।

V. सब्सिडी लेखापरीक्षा और भुगतान में वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए नियम और मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

VI. विद्युत आपूर्ति की लागत की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मासिक बिलिंग में ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) को स्वचालित रूप से शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

VII. विद्युत (उपभोक्ताओं का अधिकार) नियम, 2020 को इस दृढ़ विश्वास के साथ अधिसूचित किया गया है कि विद्युत प्रणालियाँ, उपभोक्ताओं की सेवा के लिए मौजूद हैं और उपभोक्ताओं को 24X7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति और विश्वसनीय सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है।

VIII. रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने तथा तेजी से स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिए नियम बनाए किए गए हैं।

IX. नियमों के तहत नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की समयावधि कम कर दी गई है।

X. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग की सुविधा हेतु अलग कनेक्शन के लिए सक्षम प्रावधान किया गया है।

XI. ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए हरित ऊर्जा विशिष्ट बाजार खंड प्रस्तुत किए गए हैं।

XII. नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकाधिक खपत के लिए सक्षम प्रावधानों के साथ ग्रीन एनर्जी ओपेन एक्सेस रूल्स, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।

XIII. देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर और पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत पर अंतर-राज्यीय पारेषण (आईएसटीएस) शुल्क में छूट, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (आरजीओ) की शुरुआत की गई है।

*****